(वाद सं0–3916/2018)

06.07.2021

परिवादी, चन्द्र नारायण सिंह, अनुपस्थित हैं।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, चन्द्र नारायण सिंह के पुत्र, सत्यप्रकाश उर्फ समीर, की दिनांक–15.08.2010 को नक्सलियों द्वारा हत्या कर दिये जाने के फलस्वरूप उसके आश्रित को केन्द्रीय सहायता व राज्य सहायता के रूप में अनुमान्य अनुग्रह अनुदान की राशि का अब तक भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि परिवादी के पुत्र, सत्यप्रकाश उर्फ समीर बिंद, को अपहृत कर गोली मारकर नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी गयी थी जिसके संबंध में भा0द0स0 की धाराओं, 364/ 302/34 तथा शस्त्र–अधिनियम की धारा– 27 के अन्तर्गत खड़गपुर थाना कांड संख्या–193/2010, दिनांक–16.08.2010 संस्थित किया गया। अनुसंधान व पर्यवेक्षण के दौरान प्रसंगाधीन कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त, रसीद लाल बिंद एवं 30–31 अज्ञात नक्सलियों के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं, 364/302/379/120(बी)/34, शस्त्र–अधिनियम की धारा–27 व विधि विरूद्ध क्रिया–कलाप निवारण अधिनियम की धारा–10/13 के अन्तर्गत उनकी संलिप्तता को सत्य पाया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खड़गपुर, द्वारा दिनांक–19. 03.2011 को अपने पत्रांक–316 के द्वारा परिवादी के मृतक पुत्र की नक्सली हत्या के कारण उसके आश्रित को नियमानुसार अनुग्रह सहायता से संबंधित अनुशंसा पत्र पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को भेजा गया था। परिवादी का कथन है कि घटना घटित हुए करीब ग्यारह वर्ष बीत जाने के बाद भी उसे अपने मृतक पुत्र की नक्सली हिंसा में हुई मृत्यु से संबंधित नियमानुसार अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान नहीं हो पाया है।

उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी, मुंगेर से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा अपने प्रतिवेदन में राज्य आयोग को सूचित किया गया कि दिनांक–24.09.2014 को आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में पारित निर्णय के आलोक

में परिवादी के मृतक पुत्र के आश्रित (पिता, परिवादी, चन्द्र नारायण सिंह) को कुल चार लाख रूपये अनुग्रह सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया तथा अपने ज्ञापांक–2955/जी0, दिनांक–08.12.2014 के द्वारा गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना से तत्त्सम्बन्धी आवंटन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। **यह बड़े दुःख की बात है कि गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना द्वारा जिला पदाधिकारी, मुंगेर को अब तक आवंटन उपलब्ध नहीं कराया गया है।** जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि पुनः उनके पत्रांक–939/जी0 दिनांक–21.07.2020 के द्वारा गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार, पटना से तत्त्सम्बन्धी आवंटन उपलब्ध कराने हेतु उन्हें स्मारित भी किया गया, लेकिन अब तक गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार, पटना द्वारा जिला पदाधिकारी, मुंगेर को तत्संबंधी आवंटन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिससे कि नियमानुसार अनुग्रह सहायता उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है।

यह बड़े दुःख की बात है कि ग्यारह वर्ष बीत जाने के बाद भी नक्सली हिंसा के पीड़ित व्यक्ति को सरकारी नियमानुसार अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान अबतक संबंधित प्राधिकार द्वारा नहीं किया गया है।

जिला पदाधिकारी, मुंगेर के प्रतिवेदन (पृ0–22–18/प0), परिवादी के परिवाद पत्र (पृ0–3–1/प0 एवं 24/प0) व आज पारित आदेश की प्रति संलग्न कर **अपर मुख्य सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार सरकार, पटना से नक्सली हिंसा के पीड़ित (मृतक सत्यप्रकाश उर्फ समीर बिंद) के आश्रित** (पिता, परिवादी, चन्द्र नारायण सिंह) को सरकारी नियमानुसार अनुग्रह सहायता राशि की भुगतान में हो रहे विलंब के कारणों के संबंध में दिनांक–25.11.2021 के पूर्व तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाय।

संचिका दिनांक–29.11.2021 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक